



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-18022026-270251
CG-RJ-E-18022026-270251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 746]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 13 फरवरी, 2026

का.आ. 784(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 नवम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का. आ. 5458 (अ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य के जिला जैसलमेर में “रामदेवरा और पोकरण (13.38 किमी) के बीच भैरव गुफा कैलाश टेकरी होकर नई रेलवे लाइन” के निर्माण कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु अर्जित करने के लिए अपने आशय कि घोषणा कि थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति में तारीख 04 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया था :

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आक्षेपों को तय समय में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती हैं कि इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जाएगी;

केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती हैं कि इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जिला जैसलमेर में “रामदेवरा और पोकरण (13.38 किमी) के बीच भैरव गुफा कैलाश टेकरी होकर नई रेलवे लाइन” के निर्माण कि विशेष रेल परियोजना हेतु (पोकरण उपखंड के लिए) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला:जैसलमेर								
क्र. सं.	उपखंड/ तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/ खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की किस्म	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	आवासी की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामि/ हितबध्द व्यक्तियों के नाम
1	पोकरण	रामदेवरा	190	सरकारी	गै. मु. औरण	99.3664	0.2223	राजस्थान सरकार
2			191/1	सरकारी	गै. मु. औरण	15.3780	0.9957	राजस्थान सरकार
3			215	सरकारी	गै. मु. औरण	222.4149	0.8549	राजस्थान सरकार
4			226	सरकारी	गै. मु. औरण	698.6239	11.0176	राजस्थान सरकार
5			227	सरकारी	गै. मु. रास्ता	1.1331	0.0206	राजस्थान सरकार
6			228	सरकारी	गै. मु. औरण	40.1448	0.5361	राजस्थान सरकार
		कुलयोग ग्राम रामदेवरा					13.6472	
1		गोमट	170	सरकारी	गै. मु. औरण	457.0108	4.7738	राजस्थान सरकार
		कुलयोग ग्राम गोमट					4.7738	
1			148	सरकारी	बारानी 4	130.1062	1.6874	राजस्थान सरकार
2		पोकरण	184	सरकारी	गै. मु. रास्ता	2.3876	0.1687	राजस्थान सरकार
3			185	सरकारी	गै. मु. रिण	335.3786	8.8724	राजस्थान सरकार

4			104	सरकारी	गै. मु. रिण	24.7020	0.7959	राजस्थान सरकार
5			99	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.2671	0.2355	राजस्थान सरकार
6			6478/129	सरकारी	बारानी 3	0.1376	0.1333	राजस्थान सरकार
		कुलयोग ग्राम पोकरण					11.8932	
						कुल योग	30.3142	

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-23]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 13th February, 2026

S.O. 784(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Western Railway, Construction organisation), Notification number S.O. 5458(E) dated 27 November, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub section (ii) (hereinafter referred to as the said notification), under sub section (i) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of **Special Railway Project**, namely “**Ramdevra - Pokran New Railway line via Bhairav Gufa - kailash Tekri (13.380km)**” in the District Jaisalmer of the State of Rajasthan.”

And, whereas, the substance of the said notification were published in daily local newspapers “Rajasthan Patrika” and “Danik Navjyoti” dated 04 December, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said act;

And whereas, objections received within the stipulated time period were resolved by Competent Authority accordingly.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declare that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely,
Ramdevra – Pokran New Railway line via Bhairav Gufa-kailash Tekri (13.380 km) Project (For Pokran Sub Division) in the District Jaisalmer of the State of Rajasthan.

District - Jaisalmer								
Sr. No.	Name of Tehsil	Village	Survey / khasra No.	Type of land	Nature of land	Total area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Name of Land owner/ interested Person
1	Pokran	Ramdevra	190	Govt	G. M. Oran	99.3664	0.2223	Government of Rajasthan
2			191/1	Govt	G. M. Oran	15.378	0.9957	Government of Rajasthan
3			215	Govt	G. M. Oran	222.4149	0.8549	Government of Rajasthan
4			226	Govt	G. M. Oran	698.6239	11.0176	Government of Rajasthan
5			227	Govt	G. M. Rasta	1.1331	0.0206	Government of Rajasthan
6			228	Govt	G. M. Oran	40.1448	0.5361	Government of Rajasthan
		Sub total (Ramdevra village)					13.6472	
1		Gomat	170	Govt	G. M. Oran	457.0108	4.7738	Government of Rajasthan
		Sub total (Gomat village)					4.7738	
1		Pokran	148	Govt	Barani 4	130.1062	1.6874	Government of Rajasthan
2			184	Govt	G M Rasta	2.3876	0.1687	Government of Rajasthan
3			185	Govt	G M Rin	335.3786	8.8724	Government of Rajasthan

4			104	Govt	G M Rin	24.702	0.7959	Government of Rajasthan
5			99	Govt	G M Rasta	0.2671	0.2355	Government of Rajasthan
6			6478/129	Govt	Barani3	0.1376	0.1333	Government of Rajasthan
		Sub total (Pokran village)					11.8932	
	Grand total (Pokran Tehsil)						30.3142	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXIII]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)